

~~1/5~~

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

अमादीश बनाम देवकरण (काँरा)

किस्म मुकदमा प्रो.प. 111-129 नं. 97 सन 2023

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नन्दर व ता अहकाम जे हुकम की त में जारी
--------	----------------------------------	---

19-5-23 वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 30/5/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

8-6-23 पत्रावली म्हाडई राहत कैम्प एंव प्रशासन गाँवों के संग अभियान कैम्प ग्राम पचायत नीम काखेडा में पेश हुई, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शाह प्रो किये गये। प्रार्थनापत्र का प्रोपत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फँसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

हुक्मीचन्द्र शौहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 97/23 प्रा.पत्र

1- श्री जगदीश/श्री पोरवर जाट गिवासी-धुवाला तहसील-माण्डल (गौरा)

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री देवकरण/श्री हल्का जाट गिवासी-धुवाला तहसील-माण्डल (गौरा)
(संबन्धित प्रा.पत्र संख्या)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 08-06-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धुवाला पटवार हल्का धुवाला तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 1756, 1757 कुल कित्ता 02 रकबा 0-0885 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.05.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम धुवाला पटवार हल्का धुवाला तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 1756, 1757 कुल कित्ता 02 रकबा 0-0885 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक श्री 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथारिथति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2023